राजस्व वाद संख्या 12/2026
उनवान लाखाराम वगैरा बनाम वागाराम वगैरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

पीठासीन अधिकारी :— श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :— 12/2026

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लाखाराम पुत्र अलसाराम 2. दमाराम पुत्र अलसाराम 3. देवूदेवी पत्नी अलसाराम 4. मंगलाराम पुत्र अलसाराम जातियान जाट निवासीगण जसनाथ नगर, गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. वागाराम पुत्र सोनाराम 2. किरताराम पुत्र जीयाराम 3. थानाराम पुत्र जीयाराम 4. रेखाराम पुत्र जीयाराम जातियान जाट निवासीगण जसनाथ नगर, गंगासरा तहसील सेड़व जिला बाड़मेर 5. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता
वादीगण अधिवक्ता— श्री आम्बाराम पूनड़

निर्णय

दिनांकः— 30/03/2026

वादीगण लाखाराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी जसनाथ नगर, गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत राजस्व का वाद वाद अन्तर्गत धारा 183, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि " यह है कि सरहद मौजा— जसनाथ नगर, पटवार हल्का गंगासरा, भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया, तहसील — सेडवा, जिला बाड़मेर में वादीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 694/35 रकबा 14.5768 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमि आयी हुई है। गिरदावरी भी वादीगण के नाम से तज्वीज होती आ रही है। उक्त आराजी को वादपत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से उल्लेखित किया जाएगा। वादग्रस्त आराजी वादीगण के खातेदारी, कब्जाकाश्त की आयी हुई है, जिस पर पीढियो से, वर्षो से वादीगण का सहज शांतिपूर्ण निर्बाध रूप से कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है जो नक्शे में भी किस्तवार तरमीमशुदा है। जिसमें वादीगण की रहवासीय पक्की ढाणी, पानी का टांका, बेरा इत्यादि स्थित है। लेकिन अभी भूमि की कीमतों में वृद्धि होनें से वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 येन—केन—प्रकारेण जबरन हड़प कर वादीगण को बेदखल. करना चाहते हैं, जिससे ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण का अवैधानिक मनमाना व स्वेच्छाचारी है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त वादीगण का चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीगण के खातेदारी, कब्जाकाश्त की भूमि पर कच्चा—पक्का निर्माण कर पूर्णतः वादीगण को बेदखल करना चाहते है। आज से कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण ने वादीगण के खातेदारी खेत में कब्जा करना शुरू किया व पक्का निर्माण शुरू किया तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...दीगण जोरामर्जी से वादीगण के खेत में कब्जा करके कार्रवाई नहीं होने पर वादीगण ने ...यालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के प्रकरण सं. 109/2025 निर्णय दिनांक 07.11.2025 की पालना में तहसीलदार सेड़वा के आदेश कमांक भू.अ./1867–68 की पालना में दिनांक 07.11.2025 को मौजा– जसनाथ नगर, पटवार हल्का गंगासरा, भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया, तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर में वादीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 694/35 रकबा 14.5768 हैक्टेयर किस्म बा.सो. की आर.आई. हल्का पटवारी भंवार व हल्का पटवारी अरटी के साथ मौके पर आये, उक्त वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 694/35 की पैमाईश लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम व श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बाड़मेर के भू.अ. शाखा से जारी मोमीट्रेस कमांक/4157 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार की गई जिसके बिन्दु निम्नानुसार हैं – ग्राम जसनाथ नगर के खसरा नम्बर 694/35 रकबा 14.5768 हैक्टेयर किस्म बा.सो. के बिन्दु नाप संख्या A से B 12.2 गठा, B से C 135.3 गठा, C से D 145.7 गठा, D से E 45.6 गठा, E से F 184.2 गठा, F से G 76.7 गठा, G से H 80.1 गठा, H से I 32.4 गठा, I से J 152.6 गठा व J से A 23 नाप कर निशानात लगायें एवं बिन्दु A व J पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने पर पक्के नेखम लगाये गये बिन्दु संख्या BCD पर पडौसी खातेदार द्वारा ऐतराज करने पर अस्थायी नेखम लगाये गये बिन्दु संख्या EFGHI पर ग्राम जसनाथ नगर व ग्राम बामड़लाडेर के बीच ओवरलेप की स्थिति होने पर दोनों पक्षो को धुम्बे लगाकर बताये गये एवं नेखम नहीं लगाये गये उक्त ओवरलेप का समाधान भूप्रबन्ध टीम द्वारा सर्वे रिसर्वे में कियां जायेगा। बिन्दु संख्या A व J के बीच प्रार्थी की भूमि पर विप्रार्थी संख्या 01 वागाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट द्वारा रकबा 1.43 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा काश्त हैं जिसे अवैध कब्जा हटाने को कहा गया जिसने अपना अवैध कब्जा हटाने से इनकार किया जिसे मौका रिपोर्ट के नक्शे में बरंग लाल रंग से दर्शित किया गया व बिन्दु D व C के पास प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का अवैध कब्जा पाया, जिसे सलंग्न मौका रिपोर्ट नक्शे में बरंग लाल में दर्शाया गया हैं। वादीगण व आर. आई व हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवादीगण को अपना अवैध कब्जा हटाने को कहने पर प्रतिवादीगण ने अपना कब्जा हटाने के लिए मना कर द्विया, तब आर.आई. द्वारा उक्त कब्जा हटाने के लिए वादीगण के समक्ष स्थिति के अनुसार मौका फर्द बनाई गई उक्त भूमि पर व्रिप्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है, मौका की प्रमाणित नकल संलग्न हैं। अतः अतिक्रमण हटाने हेतु बेदखली का दावा एतदर्थ पेश है। वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि जिसमें वादीगण का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त हैं, जिसमें वादीगण की ढाणी बनी हुई है तथा प्रतिवादीगण जबरन व अवैध तरीके से कब्जा करनें वं ढाणी, माठ को तोड–फोड़ करनें की फिराक में रहते हैं। इस प्रकार, प्रतिवादीगण नें एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा हर समय उपर्युक्त कृत्य करनें में भरपूर यत्न करते रहते है तथा वादीगण को काश्त करनें में भारी विघ्न इत्यादि डालते रहते है। वादीगण को ऐलानियां धमकियां भी देते हैं कि आपको जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा करेगें, निर्माण करेंगें। इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादीगण नें हैरान परेशान कर रखा है। इस संबंध में वादीगण नें कई बार गांव के पंच–मुखिया... पंच–पंचायती भी करवाई, लेकिन प्रतिवादीगण अपनी बेजां हरकतों से बाज नहीं आ रहा ... वादग्रस्त भूमि को अवैध एवं विधिविरूद्ध तरीके से वादीगण खेत ब... को जबरन हड़... चाहते हैं तथा बेदखल कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:45:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

कर वादीगण के बंट, हिस्से, कब्जे में प्रवेश करना चाहते है तथा जबरन पक्का निर्माण करना चाहते है जिन्हें रोकनें हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। वाद पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निम्न लिखित अनुतोष वादीगण को दिलाये जावें–

1. सरहद मौजा– जसनाथ नगर, पटवार हल्का गंगासरा, भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया, तहसील – सेडवा, जिला बाड़मेर में वादीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त का खेत खसरा नम्बर 694/35 रकबा 14.5768 हैक्टेयर किस्म बा.सो. में वादीगण के बंट, हिस्से मे, उपयोग में, ढाणी में प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश करें, न ही वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी/ अवरोध पैदा करें, तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। उपर्युक्त कृत्य प्रतिवादीगण न तो स्वयं करें, न ही किसी ऐजेंट, प्रतिनिधि से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमावें।

2. वादीगण के खातेदारी, कब्जाशुदा खेत खसरा नम्बर 694/35 के कुछ भाग पर (संलग्न मौका फर्द) पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन प्रवेश कर दिया गया। उक्त अतिक्रमण अपने स्वयं के खर्चे से हटाकर खाली कर दें, तथा उक्त आराजी में आगे से आगे प्रतिवादीगण अतिक्रमण, कब्जा या निर्माण नहीं करें व न करावें कि डिक्री जारी फरमावें।''

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामीलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी कोई उप. नही हुआ, अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। है। वादीगण वकील ने वादी साक्ष्य में PW-1 लाखाराम पुत्र अलसाराम जाति जाट निवासी जसनाथ नगर, गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर व PW-2 खींयाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी जसनाथ नगर, गंगासरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किए जिसे शामिल पावली किया गया। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01(ई.एक्स.पी.01) जमाबंदी मौजा जसनाथ नगर, पटवार हल्का गंगासरा के खसरा संख्या 694/35 रकबा 14–5768 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, प्रदर्श 02 (ई.एक्स.पी.02) नेखमबंदी मौका फर्द मौजा दिनांक 13. 11.2025 जसनाथ नगर, पटवार हल्का गंगासरा के खसरा संख्या 694/35 रकबा 14–5768 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में प्रदर्शित (Exhibit)करवाए।

वकील वादीगण उपस्थित। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उन पर वादीगण वकील की विस्तार पूर्वक बहस सुनी गई। वकील वादीगण की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्ति[illegible] चिंतन–मनन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अधि. 1955 आंशिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...र योग्य है। अस्तु, वादीगण का वाद आंशिक रूप से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सेड़वा की नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 13.11.2025 में वर्णित/दर्शित अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि मौजा जसनाथ नगर पटवार क्षैत्र गंगासरा तहसील सेड़वा के खेत खसरा नम्बर 694/35 रकबा 14–5768 हैक्टैयर किस्म बारानी सोयम भूमि पर बरंग लाल बिन्दु संख्या **I** व **J** के मध्य रकबा 1.43 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 01 का, बरंग लाल बिन्दु संख्या **D, C** व **B** के मध्य रकबा 0.16 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण को जबरन अवैधानिक रूप से किए गए कब्जे से भौतिक रूप से बेदखली कर वादीगण को कब्जा सुपूर्द किए जाने का आदेश तहसीलदार सेड़वा को दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी पालना रिपोट(प्रदर्श 02) दिनांक 13.11.2025 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। अस्तु, इस आशय की तहरीर तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/03/26 को खुले न्यायालय/सरे इजलास में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण विश्नोई)
सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रति/वाद

दिनांक:- 12/12/2025

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा बाड़मेर

क्रमांक/भूअ./2025/1164

दिनांक:- 12/12/2025

प्रेषित:-

श्रीमान् उपखंड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला- बाड़मेर)

विषयः - नेखमबंदी आदेश की पालना भेजवाने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व वाद संख्या 109/2025 अनवान दमाराम वगैरह बनाम किरता वगैरह में मौजा जसनाथ नगर के खसरा नंबर 694/35 रकबा 14.5768 हेक्टेयर का भू मापक नियुक्त किया गया था। भू अभिलेख निरीक्षक सेड़वा (भू मापक आयुक्त) द्वारा दिनांक 13/11/2025 को उक्त खसरा की मौके पर पैमाइश कर विवाद रहित बिन्दुओं पर नेखम स्थापित किए गए। विवादित बिन्दुओं पर पड़ोसी खातेदारों द्वारा किए गए अनधिकृत अवैध कब्जे की रिपोर्ट बनाई जाकर नेखमबंदी की फर्द मौका रिपोर्ट इस कार्यालय में पेश की गई। मूल रिपोर्ट प्रति हस्ताक्षर के इस पत्राक के संलग्न श्रीमान् की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

नकल तैयारकर्ता के हस्ताक्षर.......
नकल मिलानकर्ता के हस्ताक्षर.......

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

आज्ञा से
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
SDO सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested

मौका फर्द

आज दिनांक 13/11/2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक /मू.अ./1867-68 दि. 07/11/2025 एवं माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा राजस्व आवेदन सं. 109/2025 अनवान दमाराम वगैरह बनाम किरता वगैरह में ग्राम जसनाथनगर के खसरा सं. 694/35 रकबा 14.5768 हेक्टर भूमि की नेखमवंदी करने हेतु हल्का पटवारी भैवार, हल्का पटवारी अरटी के साथ मौके पर आये।

मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण व मौतबरान के रूबरू ग्राम जसनाथनगर के खसरा सं. 694/35 की पैमाईश श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के भू.अ. शाखा मामी ट्रेस क्रमांक 4157 दि. 06/11/25 व लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम के अनुसार की गई जिसके बिन्दु निम्नानुसार है – ग्राम जसनाथनगर के खसरा सं. 694/35 रकबा 14.5768 हेक्टर के बिन्दु नाप से A से B 12.2 गठा, B से C 135.3 गठा, C से D 145.7 गठा, D से E 45.6 गठा, E से F 184.2 गठा, F से G 76.7 गठा, G से H 80.1 गठा, H से I 32.4 गठा I से J 152.6 गठा, J से A 23 गठा नाप कर निशानात लगाये एवं बिन्दु सं. A व J पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने पर पक्के नेखम लगाये गये बिन्दु BCD पर पड़ौसी खातेदार द्वारा ऐतराज करने पर अस्थायी नेखम लगाये गये बिन्दु सं. EFGHI पर ग्राम जसनाथनगर व ग्राम बामड़लाडेर के बीच ओवरलेप की स्थिति होने से दोनों पक्षों को धुम्बे लगाकर बताये गये एवं नेखम नहीं लगाये गये उक्त ओवरलेप की का समाधान भू प्रबन्ध टीम द्वारा सर्वे रिसर्वे मे किया जायेगा

बिन्दु सं. I व J के बीच प्रार्थी की भूमि पर विप्रार्थी वागाराम पुत्र सोनाराम कौम जाट द्वारा रकबा 1.43 हेक्टर भूमि पर अवैध कब्जा कास्त है जिसे अवैध कब्जाधारक ने हटाने से इनकार किया जिसे नक्शे में बग्गा लाल रंग से दर्शित किया गया

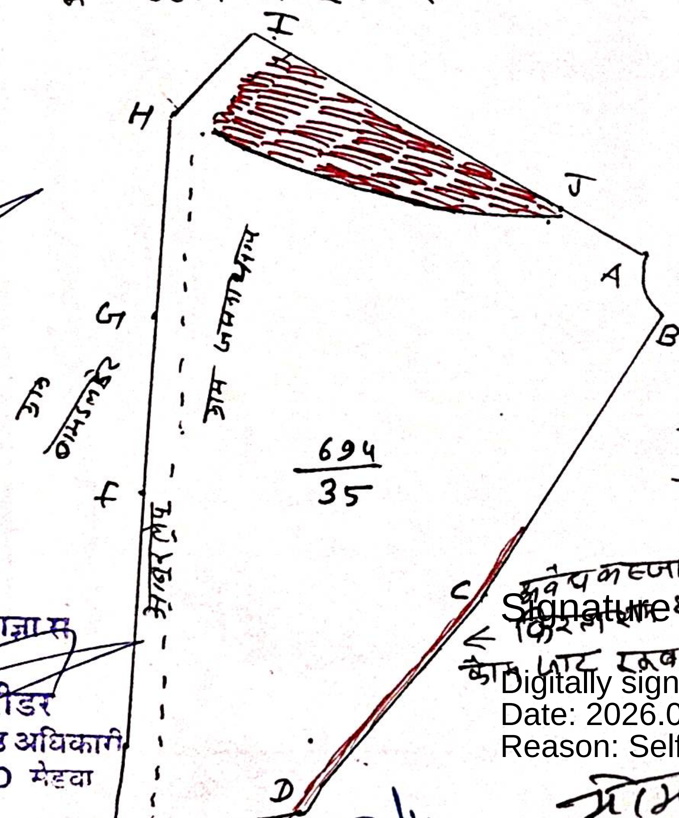

अवैध कब्जाधारक	रकबा	प्रकार कब्जा	
वागाराम पुत्र सोनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	1.43 हेक्टर	कब्जा कास्त फसल रायडा	लाल

राजस्व आवेदन सं. 109/2025 मे नेखमवंदी हेतु पड़ौसी खातेदारों को विधिवत नोटिस तामील करवाये गये।

मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित हस्ताक्षर/अ.नि. करवाये गये।

अवैध कब्जा – रेखाराम पिता जीमाराम कौम जाट रकबा

13/11

ILR फाग

ह. अरटी

प. भेवार

आज्ञा से
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
SDO सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

नकल तैयारकर्ता के हस्ताक्षर
नकल मिलानकर्ता के हस्ताक्षर

दमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:42:54 IST
Reason: SelfAttested